भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या: 893
गुरुवार, 4 दिसंबर, 2025/13 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

गलत जीपीएस सिग्नल

893. श्री टी. एम. सेल्वागणपतिः
श्री अशोक कुमार रावतः

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के ऊपर से उड़ान भरने वाले विमानों में हाल ही में दिल्ली के 60 नॉटिकल मील के दायरे में गंभीर जीपीएस स्पूफिंग की समस्या देखी गई है, जिसके कारण गलत नेविगेशन डेटा जैसे विमान की गलत स्थिति और भ्रामक भू-भाग चेतावनियाँ सामने आ रही हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि स्पूफिंग एक प्रकार का साइबर हमला है जो नेविगेशन सिस्टम को गुमराह करने के लिए गलत जीपीएस सिग्नल प्रसारित करता है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (आईएटीए) और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) ने चेतावनी दी है कि ये व्यवधान विमानन सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण और बढ़ता हुआ खतरा पैदा करते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए मामले की जाँच के आदेश दिए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) और (ख): कुछ उड़ानों ने रनवे 10 पर संपर्क करते हुए जीपीएस आधारित लैंडिंग प्रक्रियाओं का उपयोग करते समय इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (आईजीआई) हवाईअड्डे, नई दिल्ली के आसपास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) स्पूफिंग की सूचना दी है। रनवे 10 पर पहुंचने वाली जीपीएस स्पूफ्ड उड़ानों के लिए आकस्मिक प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया था।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा हवाई क्षेत्र में ग्लोबल नेविगेशन सेटिलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) हस्तक्षेप का समाधान करने हेतु दिनांक 24.11.2023 के निर्देशिका परिपत्र 2023 एएनएसएस एसी 01 जारी किया गया। इसके अलावा, डीजीसीए ने आईजीआई हवाईअड्डे के आसपास जीपीएस स्पूफिंग/जीएनएसएस हस्तक्षेप घटनाओं की वास्तविक समय रिपोर्टिंग के लिए दिनांक 10 नवंबर 2025 को मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) भी जारी की है।

जीपीएस स्पूफिंग लिंक्ड व्यवधान वैश्विक घटना है जिसे कनफ्लिक्ट क्षेत्रों के आसपास के भौगोलिक क्षेत्रों में बढ़ी हुई आवृत्ति के साथ पाया गया था।

विमानन क्षेत्र के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी खतरे, रैंसमवेयर/मैलवेयर के रूप में हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आईसीएओ), जीएनएसएस स्पूफिंग की पहचान ईंटेंशनल रेडियो फ्रिक्वेन्सी इंटरफियरेंस (आरएफआई) के रूप में करता है।

(ग): आईसीएओ जीएनएसएस मैनुअल में निवारक और प्रतिक्रियाशील उपायों का विवरण देने वाली शमन योजना शामिल है, जिसमें निरंतर खतरे की निगरानी, जोखिम मूल्यांकन और निवारक उपायों को लागू करने के लिए फ्रेमवर्क शामिल है। इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक एसोसिएशन (आईएटीए) ने मार्गदर्शन के लिए एयरलाइनों हेतु निर्देशिकाएं भी प्रकाशित की हैं।

(घ): भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने वायरलेस मॉनिटरिंग ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएमओ) से यथासंभव हस्तक्षेप / स्पूफिंग के स्रोत की पहचान करने का अनुरोध किया है। उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान, डब्ल्यूएमओ को डीजीसीए और एएआई द्वारा साझा किए गए अनुमानित स्पूफिंग स्थान विवरण के आधार पर स्पूफिंग के स्रोत की पहचान करने के लिए और अधिक संसाधन जुटाने का निर्देश दिया गया था।

****